

राजस्थान सरकार  
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (अनुभाग-1) विभाग

प.5(1)प्रसु/सम/अनु-1/2018

जयपुर, दिनांक : 19/06/26

आज्ञा


इस विभाग द्वारा राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर लगाये गये पूर्ण प्रतिबन्ध के क्रम में दिनांक 19.06.2026 से दिनांक 05.07.2026 की अवधि के बीच उक्त प्रतिबन्ध हटाया जाता है।

शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला के अध्यापकों तथा वर्षा काल में सम्भावित बिमारियों के दृष्टिगत चिकित्सा विभाग के कार्मिकों हेतु स्थानान्तरण प्रतिबन्ध अग्रिम आदेशों तक यथावत रहेगा।

स्थानान्तरण में एकल महिला/विधवा/परित्यक्ता, मेडिकल बोर्ड/सक्षम स्तर द्वारा प्रमाणित असाध्य रोग (यथा कैंसर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, किडनी के गंभीर अथवा अन्य प्राण घातक रोग) से ग्रसित कार्मिक, दीर्घावधि सेवा, दिव्यांग कर्मियों तथा राजकीय सेवारत पति-पत्नी प्रकरणों को प्राथमिकता दी जाएगी।

यह आदेश राज्य के समस्त निगमों/मण्डलों/बोर्ड/स्वायत्तशाषी संस्थाओं पर भी लागू होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(दिनेश कुमार)  
अति. मुख्य सचिव